

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
आदेश नं: 04/2025
एम.एस. नं: 2025/14

दर्ज दिनांक: 07.01.2025

राजकुमार सैनी पुत्र रेखाराम जाति माली निवासी जगदीशपुरा तह. उदयपुरवाटी

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं० धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांक:- 19.05.2025

अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम जगदीशपुरा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 43 पुराना खाता सं. 41 के ख.नं. 3063 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 311 रकबा 0.34 हैक्टर ख.नं. 314 रकबा 0.46 हैक्टर ख.नं. 316 रकबा 0.19 हैक्टर ख.नं. 317 रकबा 0.16 हैक्टर ख.नं. 338 रकबा 0.01 हैक्टर ख.नं. 339 रकबा 0.38 हैक्टर ख.नं. 365 रकबा 1.52 हैक्टर ख.नं. 366 रकबा 0.38 हैक्टर ख.नं. 367 रकबा 0.25 हैक्टर ख.नं. 368 रकबा 0.34 हैक्टर ख.नं. 369 रकबा 0.08 हैक्टर ख.नं. 370 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 4.29 हैक्टर भूमि पुख्ता अवस्थित है तथा उक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दीयां मय दस्तावेज सूची संलग्न है। उक्त वर्णित भूमि में में आवेदक के विता बीरबल की भूमि थी उसकी मृत्यु के बाद सहखातेदारी में आवेदक के नाम से दर्ज हो गयी तथा आवेदक का नाम गलती से शिवराम पुत्र बीरबल के स्थान पर श्योराम पुत्र बीरबल दर्ज हो गया। आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक का नाम राजकुमार सैनी पुत्र रेखाराम के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व रिकार्ड में राज कुमार सैनी पुत्र रेखाराम की जगह राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेखाराम दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में राज कुमार सैनी पुत्र रेखाराम दर्ज है इसलिए आवेदक का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेखाराम को सही नाम राज कुमार सैनी पुत्र रेखाराम से दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/862 दिनांक 16.04.2025 से तथ्यात्मक जांच प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित व न्यायोचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अं० धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि ग्राम जगदीशपुरा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 43 पुराना खाता सं. 41 के ख.नं. 3063 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 311 रकबा 0.34 हैक्टर ख.नं. 314 रकबा 0.46 हैक्टर ख.नं. 316 रकबा 0.19 हैक्टर ख.नं. 317 रकबा 0.16 हैक्टर ख.नं. 338 रकबा 0.01 हैक्टर ख.नं. 339 रकबा 0.38 हैक्टर ख.नं. 365 रकबा 1.52 हैक्टर ख.नं. 366 रकबा 0.38 हैक्टर ख.नं. 367 रकबा 0.25 हैक्टर ख.नं. 368 रकबा 0.34 हैक्टर ख.नं. 369 रकबा 0.08 हैक्टर ख.नं. 370 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 4.29 हैक्टर भूमि पुख्ता अवस्थित है तथा उक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दीयां मय दस्तावेज सूची संलग्न है। उक्त वर्णित भूमि में में आवेदक के विता

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

रकबा 0.01 हैक्टर ख.नं. 339 रकबा 0.38 हैक्टर ख.नं. 365 रकबा 1.52 हैक्टर ख.नं. 366 हैक्टर ख.नं. 367 रकबा 0.25 हैक्टर ख.नं. 368 रकबा 0.34 हैक्टर ख.नं. 369 रकबा 0.08 ख.नं. 370 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 4.29 हैक्टर भूमि पुख्ता अवस्थित है तथा भूमि की वर्तमान जमाबन्दीयां मय दस्तावेज सूची संलग्न है। उक्त वर्णित भूमि में आवेदक के पिता का नाम गलती से शिवराम पुत्र बीरबल के स्थान पर श्योराम पुत्र बीरबल दर्ज हो गया तथा आवेदक की मृत्यु के बाद आवेदक का नाम राजकुमार सैनी पुत्र रेखाराम के नाम से नामान्तरण दर्ज किया जाना था लेकिन राजस्व रिकार्ड में राज कुमार सैनी पुत्र रेखाराम की जगह राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेखाराम दर्ज हो गया जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में राज कुमार सैनी पुत्र रेखाराम दर्ज है इसलिए आवेदक का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेखाराम को सही नाम राज कुमार सैनी पुत्र रेखाराम से दुरुस्त किया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

—:आदेश:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जगदीशपुरा तह. उदयपुरवाटी की सरहद में खाता सं. नया 43 पुराना खाता सं. 41 के ख.नं. 3063 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.नं. 311 रकबा 0.34 हैक्टर ख.नं. 314 रकबा 0.46 हैक्टर ख.नं. 316 रकबा 0.19 हैक्टर ख. नं. 317 रकबा 0.16 हैक्टर ख.नं. 338 रकबा 0.01 हैक्टर ख.नं. 339 रकबा 0.38 हैक्टर ख.नं. 365 रकबा 1.52 हैक्टर ख.नं. 366 रकबा 0.38 हैक्टर ख.नं. 367 रकबा 0.25 हैक्टर ख.नं. 368 रकबा 0.34 हैक्टर ख.नं. 369 रकबा 0.08 हैक्टर ख.नं. 370 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 4.29 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रेखाराम के स्थान पर राज कुमार पुत्र रेखाराम शुद्ध व दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

नोट:— उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का हिस्सा बीआरकेजीबी मणकसास में रहन दर्ज है। अतः उक्त निर्णय के अन्तर्गत प्रार्थी के नाम दुरुस्ती की पालना बैंक ऋण जमा होने अर्थात् रहनमुक्त होने के बाद ही की जावे।



(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी